

## पिन्टेल इन्फ्राकांग एल०एल०पी०

**सुल्तानपुर रोड लखनऊ में प्रस्तावित दुर्बल एव अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों हेत फ्लैट की योजना**

### विवरण पुस्तिका

**१. योजना का विवरण**

प्रस्तावित योजना- पिन्टेल पार्क सिटी नीयर एच.सी.एल. आई.टी. सीटी., अपोसिट अमूल डेरी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ-२२६००२.

विकासकर्ता कम्पनी- पिन्टेल इन्फ्राकांग एल०एल०पी०

**२. फ्लैट के प्रकार**

नीलकमल (ई०डब्लू०एस०)  
 इण्डीगो (एल०आई०जी०)

**३. पंजीकरण हेतु पात्रता**

३.१. आवेदक की उम्र न्यूनतम १८ वर्ष होनी चाहिए।

३.२. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। अपवासी भारतीय भी आवेदन कर सकते हैं परन्तु उन्हें आवंटन में कोई वरीयता नहीं दी जाएगी।

३.३ आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के पास लखनऊ विकास प्राधिकरण / आवास विकास परिषद, इम्पूवमेंट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति द्वारा विकसित कालोनियों में अपना भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिये तथा उ०प्र० के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अधिकरणों अथवा संस्थानों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए।

३.४ आवेदक को ई०डब्लू०एस० (दुर्बल आय वर्ग) अथवा एल०आई०जी० (अल्प आय वर्ग) श्रेणी का होना चाहिए तथा उसकी वार्षिक आय कमशः रु० ३०००००/- व रु० ६०००००/- से सलाना अधिक नहीं होनी चाहिए। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।)

३.५ आवेदक आवंटन के बाद सफल के द्वारा किये गये शपथ-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में प्रस्तुत तथ्यों का सत्यापन किया जा सकता है।

**१. भवनों का विवरण**

भवनों के प्रकार	अनुमानित क्षेत्रफल		भवनों की संख्या	अनुमानित विक्रय मूल्य	पंजीकरण धनराशि 5% (रु.)(पूर्णांक में)	आवंटन के पश्चात 45 दिन के भीतर 15% प्रतिशत देय धनराशि	अवशेष 80% धनराशि की भुगतान की पद्धति
	वर्ग मी० करपोट एरिया	वर्ग मी० विल्टअप एरिया					
ई०डब्लू०एस० (नीलकमल) G+9	29.75	35.23	340	6,78,366	34000	101765	बारह समान त्रैमासिक किरतों में
एल०आई०जी० (इण्डीगो) G+9	37.52	41.34	160	13,59,051	68000	203858	बारह समान त्रैमासिक किरतों में
एल०आई०जी० (इण्डीगो) G+8	37.52	41.34	225	13,59,051	68000	203858	बारह समान त्रैमासिक किरतों में

**नोट**

1. प्रत्येक भूखण्ड पर इकाईयों की संख्या एवं तलों की संख्या इस पुस्तिका के पृष्ठ संख्या ५ से ८ पर उपस्थित मानचित्रों के साथ दी गयी है।
2. उपरोक्त सभी योजनाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित तथा दिव्यंग के विकलांग द्वारा पंजीकरण की आधी धनराशि जमा कर पंजीकरण कराया जा सकता है।
3. उपरोक्त फ्लैटों का घोषित मूल्य अनुमानित है। शासन अथवा किसी शासकीय अधिकरण द्वारा कोई अतिरिक्त किसी प्रकार का टैक्स या वैट, सर्विस टैक्स आदि रोपित किया जाता है तो वह आवंटन द्वारा अलग से देय होगा।
4. उपरोक्त के पश्चात वांछित धनराशि एवं किरतों निर्धारित अवधि में जमा न करने पर १५ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।
5. विलम्बतम तीन माह तक वांछित धनराशि जमा न करने पर विकासकर्ता के अधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे।

6. भूतल पर भवनों के मूल्य का ५ प्रतिशत व प्रथम तल पर ३ प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा।
7. प्रस्तावित नीलकमल-ई०डब्ल्यू०एस० (दुबल आय वर्ग) के भवनों में ३५.२३ वर्ग मीटर बिल्टअप एरिया है भवन में एक लिविंग/बेडरूम हेतु कक्ष टायलेट व किचन स्पेस है तथा इण्टीग्री - एल०आई०जी (अल्प आय वर्ग) के लिए प्रस्तावित भवनों में ४९.३४ वर्ग मीटर बिल्टअप एरिया है, व भवन में एक लिविंग रूम, दो बेडरूम, टायलेट व किचन स्पेस है।
8. विकासकर्ता द्वारा बैंको से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने में सहयता की जायेगी।

#### ५. छूट

आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से ४५ दिन के अन्दर पूर्ण भुगतान करने पर सूचित विक्रय मूल्य की ७५ प्रतिशत की धनराशि पर ५ प्रतिशत की छुट अनुमन्य होगी। आवंटन द्वारा शेष धनराशि जमा करते समय यह छूट अपने स्तर से नहीं घटाई जाएगी। छूट की धनराशि को अन्तिम गणना के पश्चात अन्य देय मदों में समायोजित की जायेगी।

#### ६. आवंटन/आवेदक की मृत्यु की दशा में

यदि आवंटन/आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसके आवेदन/ उसके आवंटित भवन उसके समुक्त आवेदक को देय होगा, अगर कोई समुक्त आवेदक ना हो तो उसके उत्तराधिकारियों को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

#### ७. आरक्षण

७.१. शासनादेश के अनुसार नीलकमल-(ई०डब्ल्यू०एस०) तथा इण्टीग्री-(एल०आई०जी) श्रेणी में आरक्षण निम्न प्रकार देय होगा:-

क्रमांक	वर्ग	प्रतिशत
१.	अनुसूचित जाति	२१
२.	अनुसूचित जनजाति	०२
३.	अन्य पिछड़ा जनजाति	२७
४.	विधायक/सांसद व स्वंत्रता सेनानी	०५
५.	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जिनकी उम्र ५० वर्ष से अधिक हो	०५
६.	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद्, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	०२
७.	भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	०३
८.	समाज के दिव्यांग विकलांग व्यक्ति (शासनादेश दिनांक १६.१२.२०११)	०३ इंटरिजोन्टल

७.२ प्रार्थना-पत्र के साथ उक्त श्रेणी में होने का घोषणा पत्र देना होगा जो पर्याप्त होगा।

७.३ नीलकमल(ई०डब्ल्यू०एस०) तथा इण्टीग्री-(एल०आई०जी) हेतु प्रार्थना-पत्र का प्रारूप संलग्न है। सभी भवन सामान्य श्रेणी के होंगे।

७.४ सामाजिक न्याय एवं अधिकारी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित वृद्धजनों हेतु राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सभ्य विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सम्पत्तियों के निस्तारण में भी समाज के वृद्धजनों के लिए १० प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाये, परन्तु वह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध आरक्षण में से ही होगा। उदाहरण स्वरूप यदि वृद्धि व्यक्ति अनुसूचित जाति का है तो उसे वर्ग के लिए निर्धारित २१ प्रतिशत के आरक्षण का १० प्रतिशत आरक्षण वृद्धजनों के लिये उपलब्ध होगा। इस प्रकार यह आरक्षण इंटरिजोन्टल होगा।

७.५ वृद्धजनों से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिन्होंने आवेदन की तिथि को ६० वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

७.६ आरक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

७.७ सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य सेवारत/सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

७.८ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

७.९ अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य उ०प्र० (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिये अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम-१९६५) अधिनियम संख्या-४ सन् १९६४ की अनुसूची १ में विनिर्दिष्ट नागरिकों को अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले आवेदकों की सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

७.१० बिन्दु ७.४ का लाभ प्राप्त करने के लिए आयु प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

10.99 आरक्षण के सम्बन्ध में शायन द्वारा समय-समय पर किये गये संशोधित आदेश लागू होंगे।

10.99 घातक व पक्ष/कन्ड सरकार द्वारा लागू कोई भी योजना/नियम पते यदि इस योजना पर लागू होंगी तो विवरण पुरितक में भी यह नियम व शर्तों में संशोधन किये जायेंगे।

### ८. आवंटन

८.१ भवनों का आवंटन लाटरी द्वारा किया जायेगा।

८.२ लाटरी का परिणाम सार्वजनिक रूप से विकासकर्ता के नोटिस बोर्ड एवं विकासकर्ता की वेबसाइट <https://pintail.co.in> पर उपलब्ध होगा।

८.३ जो प्रार्थी अर्हता की श्रेणी में नहीं आते हैं उनका प्रार्थना-पत्र निरस्त करने का अधिकार विकासकर्ता कंपनी में निहित रहेगा।

८.४ किसी भी सशर्त आवंटन पर विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवंटन-पत्र रद्द किये जायेंगे।

८.५ आवंटनी द्वारा दिये गये पते पर आवंटन-पत्र व अन्य सूचना उसे रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जायेगी, परन्तु यदि किसी भी कारण से पत्र बिना प्राप्त हुए वापस आ जाता है अथवा उसी पते पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है तो वह पत्र आवंटनी को प्राप्त माना जायेगा तथा इस विषय पर कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

८.६ यदि आवंटनी के पते में कोई परिवर्तन होता है तो आवंटनी की जिम्मेदारी होगी कि वह लिखित सूचना द्वारा कंपनी को सूचित करे।

### ९. पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी

९.१ असफल आवेदकों की पंजीकरण धनराशि ३० दिन के अन्दर विकासकर्ता द्वारा बिना कटौती व बिना ब्याज के पंजीकरण धनराशि एकाउन्ट पेयि बैंक द्वारा वापस कर दी जायेगी।

९.२ सम्पत्ति के आवंटन के पश्चात धनराशि वापस लेने पर अथवा धनराशि जमा न करने के कारण निरस्तीकरण के पश्चात पंजीकरण धनराशि पर २० प्रतिशत कटौती के उपरान्त शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी।

### १०. तथ्यों का छिपाना

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण अतथ्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया जाता है तो विकासकर्ता कंपनी के अधिकृत अधिकारी को पूरा अधिकार होगा कि आवंटन/निबन्धन/अनुबन्ध निरस्त कर दे तथा आवंटनी द्वारा की गयी सम्पूर्ण धनराशि जमा कर ले। इसके लिए कानूनी कार्यवाही जो भी विधिगत उचित समझी जायेगी की जा सकती है।

### ११. फ्री-होल्ड शुल्क

विकासकर्ता कंपनी द्वारा आवंटित भवन की भूमि का फ्री-होल्ड के रूप में भूमि के मूल्य का १२ प्रतिशत अनुबन्ध/निबन्धन के पूर्व देय होगा।

### १२. फ्लैट का कब्जा

१२.१ फ्लैट्स के सम्पूर्ण मूल्य व अन्य व्ययों के भुगतान के उपरान्त निबन्धन निष्पादन के साथ ही आवंटनी को फ्लैट का कब्जा दिया जायेगा।

१२.२ निबन्धन में आने वाला समस्त व्यय एवं स्टैमप पेपर का व्यय आवंटनी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

१२.३ विकासकर्ता कंपनी द्वारा सूचित अवधि में विक्रय विलेख न कराने पर एवं फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटनी को नियमानुसार अनुरक्षण शुल्क/चौकीदारी शुल्क देना होगा, तापश्चात निबन्धन से विलम्बतम् तीन माह तक कब्जा न लेने पर विकासकर्ता कंपनी के अधिकृत अधिकारी को फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

१२.४ निर्माण पूर्ण करने हेतु दिया गया समय दैनिक आपदा, किसानों के आन्दोलन आदि अपरिहार्य स्थिति से बढ़ सकता है।

१२.५ आवंटन तिथि से ३० माह में सम्पूर्ण भुगतान किये गये आवंटनी को फ्लैट का कब्जा न दिये जाने की स्थिति में आवंटनी को अपनी जमा धनराशि १५ प्रतिशत अथवा रैंक अनुसार निर्धारित क्षतिपूर्ति आवंटित को देयी होगी अथवा तत्समय प्रवर्तनशील धू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, २०१६ के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में प्रावधान, नियम अथवा नियम अथवा विनियम के अनुसूच देयी होगी।

१२.६ यदि आवंटनी द्वारा अनुबन्ध निबन्धन करा कर कब्जा प्राप्त कर लिया जाता है और समय से धनराशि जमा न होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जाता है अथवा किसी कारणवश आवंटनी द्वारा धनराशि वापस करने का आवेदन दिया जाता है तो पंजीकरण धनराशि पर २० प्रतिशत कटौती के उपरान्त जमा धनराशि वापस की जायेगी।

### १३. शुल्क /कर आदि की देयता

नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क आवंटनी द्वारा देय होंगे।

१३.१ आवंटन के पश्चात लखनऊ विकास प्राधिकरण हाइटेक इण्टीग्रेटेड योजना से सम्बन्धित अन्य प्रचलित शर्तों/नियम तथा समय-समय पर प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा इनमें किये गये संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन लागू एवं मान्य होंगे।

- १४.२ आवेदन पत्र में नवीनतम फोटोग्राफ जिस पर आवेदक के नाम अंकित हो, लगाया आवश्यक होगा।  
१४.३ किसी भी प्रकार के नोट या परिशेष लखनऊ होगा।

#### १५ पंजीकरण प्रक्रिया

- १५.१ पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका रु ३००.००(वैट सहित) नगद भुगतान पर कार्य दिवसों में कम्पनी कार्यालय पिनटेल पार्क सिटी नीयर एच.सी.एल. आई.टी. सीटी., अपोसिट अमूल डेरी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ-२२६००२. से रु ३००(वैट सहित) नगद भुगतान करके प्राप्त की जा सकती है।  
१५.२ पंजीकरण प्रपत्र वेबसाइट <https://pintail.co.in> से डाउनलोड करके भी प्राप्त किये जा सकते हैं, ऐसे आवेदन पत्रों पंजीकरण घनराशि के साथ पंजीकरण प्रपत्र शुल्क रु३०० का अलग से भुगतान करना होगा।  
१५.३ पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका किसी भी कार्य दिवस में निर्दिष्ट साइट कार्यालय से प्राप्त व जमा की जा सकती है।  
१६. विवरण पुस्तिका के संलग्न आवेदन-पत्र पूर्ण रूपेण भरे।

- १६.१ विवरण पुस्तिका में संलग्न शपथ-पत्र के प्रारूप का रु०.१०.०० के स्टैम्प पेपर पर अंकित कराकर नोटरी/मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित कराते हुये आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा।  
१६.२ पूर्ण रूप से भरे आवेदन-पत्र बैंकों को निर्दिष्ट शाखा में अंतिम तिथि तक कार्य दिवसों में जमा किये जा सकते हैं।  
१६.३ पंजीकरण घनराशि का ड्राफ्ट/पे-आर्डर, Pintail Infracon LLP लखनऊ के पक्ष में देय होगा।

१७. पंजीकरण हेतु अपेक्षित कार्यालय: जहाँ पंजीकरण चार्ज प्राप्त एवं जमा किये जा सकते हैं।

१७.१ साइट कार्यालय, पिनटेल पार्क सिटी नीयर एच.सी.एल. आई.टी. सीटी., अपोसिट अमूल डेरी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ-२२६००२.

#### १८. आवेदन-पत्र भरने के लिये अनुदेशः

- १८.१ आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में नाम व पता पूर्ण रूप से हिन्दी या अंग्रेजी में भरा जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा अधूरे भरे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।  
१८.२ शासनादेश के अनुक्रम में फ्लैट का निबन्धान पति एवं पत्नी के नाम संयुक्त रूप से किये जाने की भी व्यवस्था है।  
१८.३ संयुक्त नाम से प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र में दोनों आवेदकों द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने चाहिये।  
१८.४ आवेदन पत्र पर आवेदक/आवेदकी का पासपोर्ट साइज का फोटो लगाया जाना होगा एवं मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल पता दिया जाना अनिवार्य होगा।  
१८.५ आवेदक द्वारा प्रत्येक बार क्रिस्त जमा कराते समय बैंक ड्राफ्ट के पीछे पूरा नाम, पता एवं आवेदन-पत्र का क्रमिक अवश्य अंकित किया जाना चाहिये। इससे आपके भुगतान को सही ढंग से समायोजित करने में मदद मिलेगी।

#### १९. भुगतान प्राप्ति

नगद भुगतान (आवेदन की तिथि से ८० दिन की अवधि में पूर्ण भुगतान) स्वामित्व पोषित (१२ समान त्रैमासिक किश्तों में भुगतान)


#### २०.जॉच-सूची

फार्म को जमा करने से पूर्व कृपया निम्नलिखित सूची को अवश्य जॉच ले।


#### CHECK LIST (जॉच-सूची)

१. आवेदन-पत्र फोटो के साथ पूर्ण रूप से भरा गया है।
२. आवेदन-पत्र उचित रूप से निष्पादित है व उसके सभी पृष्ठों पर सभी आवेदकों के हस्ताक्षर हैं।
३. बुकिंग घनराशि का बैंक/ड्राफ्ट/पे आर्डर सही नाम पर है और उस पर हस्ताक्षर व दिनांक है।
४. आवेदक को आय के साक्ष्य हेतु प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है।
५. मूल निवासी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है।
६. शपथ-पत्र उचित रूप से निष्पादित व नोटरी से सत्यापित है।

## यूनिट प्लान




**LIG -**  
41.34 sQ.mTR



**EWS -**  
35.23 sQ.mTR

# साइट प्लान




# प्लोर प्लान




CORRIDOR R/CYD PLAN

TYPICAL 1 ST FLOOR PLAN

# प्लोर प्लान



GROUND FLOOR PLAN



TYPICAL 1<sup>ST</sup> FLOOR PLAN

रु. १०/के स्टैम्प पर (नोटरी द्वारा सत्यापित)

शपथ-पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....उम्र.....वर्ष पुत्र/पुत्री/पत्नी.....  
.....निवासी.....  
.....शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ:

१. मैं/हम भारत का/ के नागरिक हूँ/हैं।
२. मैं एतद्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तों दशाओं विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख विवरण-पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट रूप से समझ लिया है तथा मैं इनका पालन करने का वचन देता/देती हूँ।
३. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने अथवा मेरे पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चे न पहले किसी योजना के अन्तर्गत मेरे आवेदन पत्र में उल्लिखित परियोजना में भवन के आवंटन के लिये पंजीकरण हेतु आवेदन नहीं किया है।
४. जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिये मैं आवेदन कर रहा /रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे पति /पत्नी या आश्रित बच्चे के नाम कोई आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड/भवन क़य किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना मैं तुरन्त कम्पनी को दूंगा/दूगी।
५. मेरे या मेरे परिवार के नाम ३०५० के किसी नगर में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं है।
६. मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि गत वित्तीय वर्ष..... में समस्त स्त्रोतों से मेरी कुल वार्षिक आय रु.....  
...../- थी जिसमें मेरे परिवार के समस्त सदस्यों एवं आश्रित संबन्धियों की आय सम्मिलित है।
७. मैं एतद्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि धारा १ से ५ में कहा गया कथन सर्वथा सत्य है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे द्वारा कोई असत्य विवरण जान-बूझकर कम्पनी को दिया गया है तो कम्पनी को मेरे विरुद्ध जो उपयुक्त समझे, कार्यवाही करने का अधिकार होगा।
८. यदि भूमि अर्जन के प्रतिकार के सम्बन्ध में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से आवंटित भूखण्ड के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसका निर्धारित नियमों के अनुसार भूगतान करूँगा/करूँगी।
९. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भूगतान करूँगा/करूँगी। यदि मेरे द्वारा भूगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं विकासकर्ता कम्पनी उन्नत के कारण मेरा आवंटन निरस्त करती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
१०. मेरे द्वारा पंजीकरण फार्म में खाता सम्बन्धी विवरण दिया गया है वह कम से कम अगले दो वर्ष तक मान्य होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

सत्यापन :-

मैं एतद्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक १ से क्रमांक १० तक दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास में सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर